प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं. 2188/2017

श्रीमती. रेणु कुमारी सिंह, पिता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह, लगभग 51 वर्ष , निवासी अम्बिकापुर, पुलिस थाना तथा अम्बिकापुर पोस्ट, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. वित्त विभाग, कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

3. आयुक्त, सरगुजा डिवीजन, अंबिकापुर, पुलिस थाना तथा पोस्ट अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

4. कलेक्टर, अंबिकापुर, सरगुजा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :––श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :––श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता।

न्यायमित्रःश्री अमृत दास, अधिवक्ता।

एकल पीठः माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

20/03/2025

1) इस रिट याचिका में निर्धारण हेतु संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर) द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 23(i) के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैधानिक अपील को स्वीकार करने तथा नियम 29 के

अंतर्गत कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर द्वारा पारित सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने के पश्चात, नियम 29(1)(iii) के अंतर्गत समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है?

2. उपर्युक्त विधि प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विचारार्थ उठता है:---

3. याचिकाकर्ता को दिनांक 25–8–1998 को अनुकंपा के आधार पर सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया था और कुछ परिवाद के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी (कलेक्टर) ने उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप नियम 10 के तहत उसकी सेवा समाप्ति हो गई, जिस पर उसने नियम 23(i) के तहत अपील दायर करके अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) के समक्ष सवाल उठाया गया, जिसे अंततः आयुक्त ने दिनांक 16–6–2014 के आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था।हालांकि, इसके बाद कलेक्टर (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) ने 4–8–2014 को अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) को अपने दिनांक 16–6–2014 के आदेश की पुनर्विलोकन के लिए एक पत्र लिखा, जिस पर अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) ने 8–1–2016 को संज्ञान लिया और अंततः 16–6–2014 के अपने आदेश की समीक्षा की और उसे अलग रखते हुए नियम 29(1)(iii) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 27–2–2017 को पुनर्विलोकन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) के आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने प्रस्तुत किया कि नियम 29(1)(iii) के तहत शक्ति वास्तव में उसके पहले के आदेश की पुनर्विलोकन की प्रकृति की नहीं है, जिसकी समीक्षा की मांग की जा रही है, यह प्राधिकरण को अपने आदेश की पुनर्विलोकन करने का अधिकार देता है, यह पुनरीक्षण शक्ति के समान ही शक्ति है और यह गुण–दोष के आधार पर पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसलिए नियम 29(1)(iii) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पहले के आदेश की पुनर्विलोकन करने वाले अपीलीय प्राधिकरण (आयुक्त) का आदेश क्षेत्राधिकार और विधि के अधिकार के बिना है और इसे रद्द कियेे जाने योग्य है।

5. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया है कि आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2014 के अपने आदेश की पुनर्विलोकन करना पूर्णतः न्यायसंगत है तथा इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है तथा अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

7. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) ने नियम 23(i) के अंतर्गत अपील के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुमति दी, जिसकी पुनर्विलोकन करने का कलेक्टर ने अनुरोध किया था तथा जिसकी अंततः नियम 29(1)(iii) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए

अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) द्वारा समीक्षा की गई, मानो आयुक्त नियम 29(1)(iii) के अर्थ में पुनर्विलोकन प्राधिकारी है।

8. प्रश्न की जांच करने के लिए नियम 23 और 24 पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:–

"23. आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जाती है।–नियम 22 के प्रावधानों के अधीन, एक सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित समस्त या किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है, अर्थात्:---

(i) नियम 10 में निर्दिष्ट दंडों में से कोई भी अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा किया गया हो;

(ii) नियम 10 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाने वाला आदेश;

(iii) नियम 9 के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन आदेश।

स्पष्टीकरण.–इस नियम में "सरकारी सेवक" पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अपीलीय प्राधिकारी।(1) कोई सरकारी सेवक, जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया है, नियम 23 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अनुसूची में या राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां–

(i) जहां ऐसा सरकारी सेवक राज्य सिविल सेवा, वर्ग 1 या वर्ग 2 का सदस्य है या था या राज्य सिविल पद, वर्ग 1 या वर्ग 2 का धारक है।–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है; या

(ख) राज्यपाल को, जहां ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

(ii) जहां ऐसा सरकारी सेवक राज्य सिविल सेवा, वर्ग 3 या वर्ग 4 का सदस्य है या था या राज्य सिविल पद, वर्ग 3 या वर्ग 4 का धारक है या था, वहां उस प्राधिकारी को, जिसके अधीन वह प्राधिकारी है जिसके अधीन वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तत्काल अधीनस्थ है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी –

(i) नियम 18 के अधीन आयोजित सामान्य कार्यवाही में किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष की जा सकेगी जिसके अधीन उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी तत्काल अधीनस्थ है;

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा, ऐसे आदेश के संबंध में अपील प्राधिकारी बन जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जा सकेगी जिसके अधीन वह व्यक्ति तत्काल अधीनस्थ है।"

9. नियम 23 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह नियम के खंड (i), (ii) और (iii) के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सरकारी कर्मचारी को केवल अपील का उपाय प्रदान करता है। नियम 24 में अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को नियम 23 में निर्दिष्ट सभी या किसी भी आदेश के विरुद्ध अनुसूची में या राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या जहां नियम 24(1) के खंड (i) और (ii) में ऐसा कोई प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं है, वहां इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की पुनः शक्ति प्रदान की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार, नियम 23 और 24 की गहन जांच से यह स्पष्ट है कि नियम 10 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने वाले आदेश या नियम 10 के तहत लगाए गए किसी भी दंड को बढ़ाने वाले आदेश या नियम 9 के तहत किए गए या किए गए माने गए निलंबन के आदेश के खिलाफ सरकारी कर्मचारी को केवल अपील का उपाय प्रदान किया गया है, और नियम 23 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि "सरकारी कर्मचारी" अभिव्यक्ति में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया है।

11.नियमों के भाग VIII में पुनर्विलोकन हेतु प्रावधान है।नियमों के नियम 29 में कहा गया है:---

“29. (1) नियम 11 को छोड़कर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी,–

(i) राज्यपाल, या

(ii) राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग का प्रमुख, ऐसे विभाग या कार्यालय (सचिवालय न हो) में सेवारत किसी सरकारी कर्मचारी की स्थिति में, जो ऐसे विभाग के प्रमुख के नियंत्रण में हो; या

(iii) अपीलीय प्राधिकारी, समीक्षा के लिए प्रस्तावित आदेश दिनांक से छह महीने के भीतर; या

(iv) राज्यपाल द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी, और ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में निर्धारित समय के भीतर;किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मंगवा सकता है और इन नियमों के अधीन या नियम 34 द्वारा निरसित नियमों के अधीन दिए गए किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है, जिसके विरुद्ध अपील की अनुमति है, लेकिन जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है या जिसके विरुद्ध कोई अपील की अनुमति नहीं है, आयोग से परामर्श के पश्चात जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, और–

(क) आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति की पुष्टि करना, उसे कम करना, बढ़ाना या अपास्त करना, या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है वहां कोई शास्ति अधिरोपित करना; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को भेजना जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार आगे और जांच करे; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करना जिन्हें वह उचित समझे:परंतु कि किसी भी समीक्षा अधिकारी द्वारा कोई भी शास्ति अधिरोपित करने या बढ़ाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 10 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने या पुनर्विलोकन किए जाने वाले आदेश द्वारा लगाए गए शास्ति को उन खंडों में निर्दिष्ट किसी भी शास्ति तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहां नियम 14 में निर्धारित तरीके से जांच के बाद और जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, वहां आयोग के परामर्श के बाद ही ऐसा कोई शास्ति अधिरोपित किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष द्वारा समीक्षा करने की कोई शक्ति तब तक प्रयोग नहीं की जाएगी जब तक कि–

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश दिया है, या

(ii) वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील की जाएगी, जहां कोई अपील नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ न हो।

स्पष्टीकरण I. इस उपनियम के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में सेवारत तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवक के मामले में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण II. इस नियम के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि–

(i) अपील के लिए सीमा अवधि की समाप्ति न हो जाए, या

(ii) अपील का निपटारा न हो जाए, जहां ऐसी कोई अपील की गई है।

(3) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि वह इन नियमों के तहत अपील कि गयी थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.नियम 29(1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पुनर्विलोकन का अधिकार राज्यपाल, राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष तथा अपीलीय प्राधिकारी को प्रदान किया गया है, तथा इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि पुनर्विलोकन की शक्ति राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में निर्धारित समय के भीतर प्रयोग की जा सकती है। यह भी निर्धारित किया गया है कि उपर्युक्त चारों पुनर्विलोकन प्राधिकारियों को आदेश की पुष्टि करने, उसे संशोधित करने या उसे निरस्त करने; या आदेश द्वारा लगाए गए दंड की पुष्टि करने, उसे कम करने, उसे बढ़ाने या निरस्त करने, या जहां कोई दंड नहीं लगाया गया है वहां कोई दंड लगाने; या मामले को आदेश देने वाले प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को वापस भेजने तथा ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अतिरिक्त जांच करने का निर्देश देने की शक्ति है, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या ऐसे अन्य आदेश पारित करने की शक्ति है, जिसे वह उचित समझे।

13.इस प्रकार, पुनर्विलोकन की शक्ति उपर्युक्त प्राधिकारियों को प्रदान की गई है और उन्हें आदेश की पुष्टि करने, उसे संशोधित करने या उसे निरस्त करने या आदेश द्वारा लगाए गए दंड की पुष्टि करने, उसे कम करने, बढ़ाने या निरस्त करने या जहां कोई दंड नहीं लगाया गया है, वहां कोई दंड लगाने या मामले को उस प्राधिकारी को भेजने जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश देने की शक्ति दी गई है, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है, जिसे वह उचित समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.हालांकि, नियम 29 के उप–नियम (2) से यह पता चलता है कि अपील के लिए सीमा अवधि की समाप्ति या अपील के निराकरण के बाद ही पुनर्विलोकन के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जाएगी, जहां ऐसी कोई अपील पेश की गई है।नियम 29 के उप–नियम (3) में कहा गया है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को उसी तरह से निराकरण किया जाएगा जैसे कि यह इन नियमों के तहत एक अपील थी। नियम 29 के उप–नियम (2) और (3) से यह पता चलता है कि नियम 29 के तहत प्रदत्त शक्ति उस प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अपील की प्रकृति की शक्ति के समान है, जिसके आदेश की पुनर्विलोकन की जानी है।इस नियम के द्वारा, उस प्राधिकारी को, जिसने पुनर्विलोकन धीन आदेश पारित किया है, अपने स्वयं के पूर्व आदेश की पुनर्विलोकन करने का कोई पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि के पश्चात किया जाना होता है और यदि अपील की गई है, तो अपील के निराकरण के पश्चात। नियम 29 के उप–नियम (3) में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि इसे अपील के रूप में माना जाएगा और वास्तव में, यह गुण–दोष के आधार पर पुनर्विलोकन है। इस प्रकार, मेरी सुविचारित राय में, नियम 29 संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के आदेश की पुनर्विलोकन करने को बाहर करता है, जिसने प्रश्नगत आदेश पारित किया है और इसलिए नियम 29(1)(iii) के अंतर्गत, इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी का तात्पर्य राज्य सरकार से है, आयुक्त के आदेश के विरुद्ध, आगे की अपील सरकारी कर्मचारी के कहने पर राज्य सरकार के समक्ष होती है।इसलिए, नियम 29(1)(iii) के आधार पर, अपीलीय प्राधिकारी

(आयुक्त), जिसने नियम 23 और 24 के तहत अपीलीय आदेश पारित किया है, को अपने आदेश को सुनने तथा पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि नियम 29(1)(iii) के तहत, यह राज्य सरकार होगी जिसके पास नियम 29(1)(iii) के आधार पर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।दूसरे शब्दों में, यह गुण–दोष के आधार पर अपील करने के समान ही पुनरीक्षण की शक्ति है, क्योंकि स्वप्रेरणा से यह शक्ति राज्य सरकार और उसमें उल्लिखित अन्य प्राधिकारियों को भी प्रदान की गई है, क्योंकि नियम 23 और 24 के आधार पर अपील करने का अधिकार सरकारी कर्मचारी को दिया गया है और सभी प्राधिकारियों अर्थात राज्यपाल या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग के प्रमुख या अपीलीय प्राधिकारी या राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को स्पष्ट पुनरीक्षण शक्ति प्रदान की गई है, ताकि सरकार अधीनस्थ अपीलीय प्राधिकारियों पर नियंत्रण रख सके, जिन्हें नियम 23 और 24 के तहत अपील की शक्ति प्रदान की गई है।इस प्रकार, यह नियम 29 के उप–नियम (1) के खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट अधिकारियों को दी गई योग्यता के आधार पर अपील की शक्ति के समान पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसमें वह अधिकारी शामिल नहीं होगा जिसके आदेश की नियम 24 के तहत पुनर्विलोकन की मांग की जाती है। उपर्युक्त दृष्टिकोण नियम 29 के उप–नियम (2) और (3) द्वारा समर्थित है, जहां पुनर्विलोकन की शक्ति अपील के लिए सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद या अपील के निराकरण के बाद प्रयोग की जानी है, जहां ऐसी कोई अपील पेश की गई है, और इसके अलावा, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को उसी तरह से माना जाना चाहिए जैसे कि यह इन नियमों के तहत अपील कि गयी थी।इस प्रकार, , पुनर्विलोकन की शक्ति अपील की शक्ति के समान है और इसलिए, इसे नियम 29(1)(iii) के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह वर्तमान मामले में , पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं होगा, क्योंकि, वर्तमान मामले में, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नियम 24 के तहत अपीलीय प्राधिकारी राज्य सरकार है। यद्यपि, यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी (आयुक्त) के पास नियम 29(1)(iii) के तहत गुण–दोष के आधार पर समीक्षा की शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन, उसके पास अपने आदेश में लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने की शक्ति होगी और यदि आदेश धोखाधड़ी या गलत बयानी से प्राप्त किया गया हो तो भी। इसके अलावा, आयुक्त आदेश पारित करने और पक्षों को इसके संप्रेषण के बाद पहले ही पदेन हो गए थे।

15. इस मामले के तहत, विद्वान आयुक्त द्वारा नियमों की धारा 29(1)(iii) के तहत पुनर्विलोकन शक्ति का आह्वान करना पूरी तरह से अनुचित है, ऐसे में, 27–2–2017 (अनुलग्नक पी–1) का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना और विधि के अधिकार के बिना रद्द किया जाता है।याचिकाकर्ता इस न्यायालय के दिनांक 11–5–2017 के अंतरिम आदेश के आधार पर पहले से ही सेवा में है, जिसे निरपेक्ष बनाया गया है।

16. तदनुसार प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह न्यायालय अल्प सूचना पर अधिवक्ता श्री अमृतो दास द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करता है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur